मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर-दिसम्बर, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2010 (अग्रहायण 2, 1932)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री ऊर्जा :-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एम.पी. पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड का प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वित्त वर्ष 2006-2007 एवं 2007-2008 ;

(ख) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 105 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2009-2010 ; तथा

(ग) विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-

(i) क्रमांक एफ-2-16-2008, तेरह, दिनांक 26 जुलाई, 2010,

(ii) क्रमांक 2518-म.प्र. विनिआ-2010, दिनांक 16 सितम्बर, 2010, तथा

(iii) क्रमांक 2678-म.प्र.विनिआ-2010 दिनांक 5 अक्टूबर, 2010,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन :-

(क) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2009-2010 ;

(ख) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005) की धारा 25 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2007);तथा

(ग) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का 53वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2009-2010 (दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2010) तथा आयोग का वर्ष 2009-2010 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन,

पटल पर रखेंगे.

3. जुलाई, 2010 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना.

4. नियम 267-क के अधीन जुलाई, 2010 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

5. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना.

6. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री ब्रजराज, सदस्य, श्योपुर जिले में कृषकों को फसल की क्षति का मुआवजा न दिये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य, आदिवासी छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को पर्याप्त सुविधाएं न दिये जाने की ओर आदिम जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

7. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 221, सैलाना (अ.ज.जा.) के सदस्य, श्री प्रभुदयाल गेहलोत को नवम्बर-दिसम्बर, 2010 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

8. सभापति तालिका की घोषणा

9. वर्ष 2010-2011 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, वर्ष 2010-2011 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

10. वन मंत्री का वक्तव्य

श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, दिनांक 20 जुलाई, 2010 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्रमांक 895) एवं दिनांक 27 जुलाई, 2010 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्रमांक 1714) के उत्तरों में संशोधन करने संबंधी वक्तव्य देंगे.

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री जयंत मलैया, आवास और पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 25 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, आवास और पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश गृह-निर्माण मण्डल (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 26 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य भूमि विकास निगम (निरसन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 28 सन् 2010) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

12. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्री रामनिवास रावत तथा श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य चर्चा उठायेंगे.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 22 नवम्बर, 2010